



गहलोत सरकार का कोविड प्रबंधन उत्कृष्ट है: नये-नये तरीके द्वांडे गये चहेती कंपनियों से लूट मचवाने के लिए


उदाहरण के लिए, एसएमएस अस्पताल को अधिकृत किया गया, राज्य के सभी अस्पतालों के लिये वैटीलेटर खरीदने के लिए

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 21 अप्रैल गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान महामारी के चलते स्टेट डिजिस्टर रिप्रेशन फंड (एस.डी.आर.एफ.) से आई.सी.यू.इ.ट्यूडि जैसे स्थाई निर्माण ही नहीं किये गये, बल्कि निकिता विभाग के वित्त सलाहकारों ने नियमों की अदेखी करते हुए इन आई.सी.यू.व बच्चों के लिये एन.आई.सी.यू.ओर पी.आई.सी.यू.के नियमन कार्यों को "टर्नकी" प्रोजेक्ट की तर्ज पर शुरू करने की अनुमति भी दी थी, जिसके कारण इन आई.सी.यू.में लगाये जाने वाले उपकरणों की खरीद में भी भारी धांधली द्वांडे।

दरअसल कोविड महामारी के दौरान चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद पर केंद्र सरकार ने टैक्स में भारी कटौती की थी, इसके तहत जी.एस.टी. 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई थी, परंतु यह छूट टर्नकी प्रोजेक्ट से पर लाग नहीं पार की थी। पर हारीनी की बात है कि एस.एम.एस मेडिकल कॉलेज की क्रय समिति ने पूरे प्रदेशभर के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में वैटीलेटर, एस.डी.सी.मेन, वॉर्मैंट इत्यादि खरीद लेन्दर महंगी दरों पर इन कार्यों की तरफ से 12 प्रतिशत जी.एस.टी. भी अदा किया।

यही नहीं एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज की क्रय समिति ही पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के लिये मेडिकल उपकरण खरीद के आसान दरों थीं, जबकि उड़ेंडे किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेजों की ओर से



प्रकाशित दस्तावेज एक टैक्स बिल है जिसमें देखा जा सकता है कि बीकानेर मेडिकल कॉलेज में सुमित्रा एन्टरप्राइजेज नामक एक फर्म से 50 विस्तर के आई.सी.यू.में "टर्नकी प्रोजेक्ट" के माध्यम से मेडिकल उपकरणों को लगाने का अनुबंध किया गया था। इस कंपनी द्वारा मेडिकल उपकरण लगाने के लिये मेडिकल कॉलेज से 12 प्रतिशत की दर पर जी.एस.टी. वसूला गया। जैसा कि विविध के दौरान केंद्र सरकार ने मेडिकल उपकरणों की खरीद का अपना दर जी.एस.टी. के दौरान केंद्र सरकार के विकास विभाग के अधिकारियों ने नियम और नीति के विवर द्वारा जारी हुए एस.डी.आर.एफ. से घटिया दर्ज के आई.सी.यू. का नियमण कराया और मेडिकल उपकरण की खरीद में भी भारी धांधली की।

पर, किस अस्पताल को किनने वैटीलेटर चाहिए अपने आईसीयू के लिए, इस बारे में अस्पतालों से न तो पूछा गया और न ही कोई बातचीत की गई।


जैसा कि खबर के साथ प्रस्तुत बिलों की प्रतियों से नज़र आता है। एसएमएस अस्पताल के लिये जिन दामों पर वैटीलेटर खरीदे गये, उससे लगभग दोगुने दामों पर प्रदेश के अन्य अस्पतालों के लिए वैटीलेटर खरीदे गये, यह एक्स्ट्रा पैमेंट किस को मिला?

वैटीलेटर सप्लाइ करने वाली कंपनी को जीएसटी का पूरा लाभ दिलाने की दृष्टि से वैटीलेटर के द्वारा यसकार की नीति वा आपदा प्रबंधन नियम से खरीदारी नहीं की गई। अगर केन्द्रीय सरकार की व्यवस्था के अनुसार खरीद की जाती तो जीएसटी 12 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत ही लगती। ऐसे "सुप्रबंधन" के कई नायाब तरीके द्वांडे गये और सप्लायर को लाभान्वित किया।

गहलोत सरकार के अधिकारी कुछ गिनी चुनी कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मेडिकल उपकरणों की खरीद का बल्क ऑर्डर ना देके अलाग-अलाग खरीद के आदेश पारित कर रहे थे। इससे स्पष्ट प्रमाण एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज की क्रय समिति और बीकानेर के एस.पी.मेडिकल कॉलेज की क्रय समिति के वित्तीय सलाहकारों की कार्य प्रणाली पर कई सवाल उठते हैं। जहाँ एक और वैटीलेटर 9 लाख रुपये की दर पर खरीदे गये वहाँ दूसरी ओर लगभग दुगुनी लागत पर खरीदे गये।

उपकरणों की खरीद का प्रस्ताव नहीं सौंपा गया (आर.टी.पी.पी.)। अधिनियम निलंबित था। यह हालांकि यह भी सत्य है कि महामारी के पांते राजस्थान स्थानीय विभाग के अन्यर्थ दौरान मेडिकल उपकरणों की खरीद पर जी.एस.टी. के दौरान केंद्र सरकार के विकास विभाग ने लिये मेडिकल उपकरणों की खरीद आर.एम.एस. के विवर जारी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि एस.एल. के माध्यम से की जा सकती थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)



उपकरणों की खरीद का प्रस्ताव नहीं सौंपा गया (आर.टी.पी.पी.). अधिनियम निलंबित था। यह हालांकि यह भी सत्य है कि महामारी के पांते राजस्थान स्थानीय विभाग के अन्यर्थ दौरान मेडिकल उपकरणों की खरीद का लिये मेडिकल उपकरणों की खरीद आर.एम.एस. के विवर जारी हुए हैं। एस.एल. के माध्यम से की जा सकती थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गहलोत सरकार के अधिकारी कुछ गिनी चुनी कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मेडिकल उपकरणों की खरीद का बल्क ऑर्डर ना देके अलाग-अलाग खरीद के आदेश पारित कर रहे थे। इससे स्पष्ट प्रमाण एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज कॉलेज की क्रय समिति और बीकानेर के एस.पी.मेडिकल कॉलेज कॉलेज की क्रय समिति के वित्तीय सलाहकारों की कार्य प्रणाली पर कई सवाल उठते हैं। जहाँ एक और वैटीलेटर 9 लाख रुपये की दर पर खरीदे गये वहाँ दूसरी ओर लगभग दुगुनी लागत पर खरीदे गये।

उपकरणों की खरीद का प्रस्ताव नहीं सौंपा गया (आर.टी.पी.पी.). अधिनियम निलंबित था। यह हालांकि यह भी सत्य है कि महामारी के पांते राजस्थान स्थानीय विभाग के अन्यर्थ दौरान मेडिकल उपकरणों की खरीद पर जी.एस.टी. के दौरान केंद्र सरकार के विकास विभाग ने लिये मेडिकल उपकरणों की खरीद आर.एम.एस. के विवर जारी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि एस.एल. के माध्यम से की जा सकती थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गहलोत सरकार के अधिकारी कुछ गिनी चुनी कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मेडिकल उपकरणों की खरीद का बल्क ऑर्डर ना देके अलाग-अलाग खरीद के आदेश पारित कर रहे थे। इससे स्पष्ट प्रमाण एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज कॉलेज की क्रय समिति और बीकानेर के एस.पी.मेडिकल कॉलेज कॉलेज की क्रय समिति के वित्तीय सलाहकारों की कार्य प्रणाली पर कई सवाल उठते हैं। जहाँ एक और वैटीलेटर 9 लाख रुपये की दर पर खरीदे गये वहाँ दूसरी ओर लगभग दुगुनी लागत पर खरीदे गये।

उपकरणों की खरीद का प्रस्ताव नहीं सौंपा गया (आर.टी.पी.पी.). अधिनियम निलंबित था। यह हालांकि यह भी सत्य है कि महामारी के पांते राजस्थान स्थानीय विभाग के अन्यर्थ दौरान मेडिकल उपकरणों की खरीद पर जी.एस.टी. के दौरान केंद्र सरकार के विकास विभाग ने लिये मेडिकल उपकरणों की खरीद आर.एम.एस. के विवर जारी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि एस.एल. के माध्यम से की जा सकती थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गहलोत सरकार के अधिकारी कुछ गिनी चुनी कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मेडिकल उपकरणों की खरीद का बल्क ऑर्डर ना देके अलाग-अलाग खरीद के आदेश पारित कर रहे थे। इससे स्पष्ट प्रमाण एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज कॉलेज की क्रय समिति और बीकानेर के एस.पी.मेडिकल कॉलेज कॉलेज की क्रय समिति के वित्तीय सलाहकारों की कार्य प्रणाली पर कई सवाल उठते हैं। जहाँ एक और वैटीलेटर 9 लाख रुपये की दर पर खरीदे गये वहाँ दूसरी ओर लगभग दुगुनी लागत पर खरीदे गये।

उपकरणों की खरीद का प्रस्ताव नहीं सौंपा गया (आर.टी.पी.पी.). अधिनियम निलंबित था। यह हालांकि यह भी सत्य है कि महामारी के पांते राजस्थान स्थानीय विभाग के अन्यर्थ दौरान मेडिकल उपकरणों की खरीद पर जी.एस.टी. के दौरान केंद्र सरकार के विकास विभाग ने लिये मेडिकल उपकरणों की खरीद आर.एम.एस. के विवर जारी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि एस.एल. के माध्यम से की जा सकती थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गहलोत सरकार के अधिकारी कुछ गिनी चुनी कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मेडिकल उपकरणों की खरीद का बल्क ऑर्डर ना देके अलाग-अलाग खरीद के आदेश पारित कर रहे थे। इससे स्पष्ट प्रमाण एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज कॉलेज की क्रय समिति और बीकानेर के एस.पी.मेडिकल कॉलेज कॉलेज की क्रय समिति के वित्तीय सलाहकारों की कार्य प्रणाली पर कई सवाल उठते हैं। जहाँ एक और वैटीलेटर 9 लाख रुपये की दर पर खरीदे गये वहाँ दूसरी ओर लगभग दुगुनी लागत पर खरीदे गये।

उपकरणों की खरीद का प्रस